



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264113
CG-DL-E-25062025-264113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2754]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947

No. 2754]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

का.आ. 2820(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर राज्य (केंद्र शासित प्रदेश) के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 30.053 से कि.मी.49.150 (अखनुर से पुँछ रोड़ सेक्शन-1) का निर्माण (चैडीकरण/दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी जम्मू को लिखित रूप में रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और

जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य (केंद्र शासित प्रदेश) के जम्मू जिले में NH 144A के कि.मी. 30.053 से कि.मी.49.150 (अखनूर से पुँछ रोड सेक्शन-1) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अखनूर					
गांव का नाम: गंधारवन मोहरा तांडा					
1	1125	निजी (निजी)	असिंचित	0.0758786 (हेक्टेयर)	0.0758786
2	1127	निजी (निजी)	असिंचित	0.123935 (हेक्टेयर)	0.123935
3	1128	निजी (निजी)	असिंचित	0.0986421 (हेक्टेयर)	0.0986421
4	591	निजी (निजी (शामलात देह))	असिंचित	0.260517 (हेक्टेयर)	0.260517
5	602/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.0784078 (हेक्टेयर)	0.0784078
6	604	निजी (निजी)	असिंचित	0.0404686 (हेक्टेयर)	0.0404686
7	605	निजी (निजी)	असिंचित	0.0455271 (हेक्टेयर)	0.0455271
8	609	निजी (निजी)	असिंचित	0.0543796 (हेक्टेयर)	0.0543796
9	610	निजी (निजी)	असिंचित	0.108759 (हेक्टेयर)	0.108759
10	613	निजी (निजी (शामलात देह))	असिंचित	0.0935835 (हेक्टेयर)	0.0935835
11	630	निजी (निजी (शामलात देह))	असिंचित	0.149228 (हेक्टेयर)	0.149228
12	645	निजी (निजी (शामलात देह))	असिंचित	0.0075879 (हेक्टेयर)	0.0075879
13	649/1	निजी (निजी (शामलात देह))	असिंचित	0.0480565 (हेक्टेयर)	0.0480565

14	699	निजी (निजी)	असिंचित	0.03541 (हेक्टेयर)	0.03541
15	740	निजी (निजी)	असिंचित	0.0151757 (हेक्टेयर)	0.0151757
16	771	निजी (निजी)	असिंचित	0.0126464 (हेक्टेयर)	0.0126464
Total					1.2482028

[फा. सं. 1/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2025

S.O. 2820(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 144A in the stretch of land from Km. 30.053 to Km. 49.150 (Akhnoor to Poonch road Section-1)) in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR (U.T) hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner (Revenue) and Land Acquisition Jammu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 144A in the stretch of land from Km. 30.053 to Km. 49.150 (Akhnoor to Poonch road Section-1) in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Akhnoor					
Village: Gandharwan Mohra Tanda					
1	1125	Private	Non Irrigated	0.0758786 (Hectare)	0.0758786
2	1127	Private	Non Irrigated	0.123935 (Hectare)	0.123935
3	1128	Private	Non Irrigated	0.0986421 (Hectare)	0.0986421
4	591	Private (Private Shamlat Deh))	Non Irrigated	0.260517 (Hectare)	0.260517
5	602/1	Private	Non Irrigated	0.0784078 (Hectare)	0.0784078
6	604	Private	Non Irrigated	0.0404686 (Hectare)	0.0404686
7	605	Private	Non Irrigated	0.0455271 (Hectare)	0.0455271
8	609	Private	Non Irrigated	0.0543796 (Hectare)	0.0543796

9	610	Private	Non Irrigated	0.108759 (Hectare)	0.108759
10	613	Private (Private (Shamlat Deh))	Non Irrigated	0.0935835 (Hectare)	0.0935835
11	630	Private (Private (Shamlat Deh))	Non Irrigated	0.149228 (Hectare)	0.149228
12	645	Private (Private (Shamlat Deh))	Non Irrigated	0.0075879 (Hectare)	0.0075879
13	649/1	Private (Private (Shamlat Deh))	Non Irrigated	0.0480565 (Hectare)	0.0480565
14	699	Private	Non Irrigated	0.03541 (Hectare)	0.03541
15	740	Private	Non Irrigated	0.0151757 (Hectare)	0.0151757
16	771	Private	Non Irrigated	0.0126464 (Hectare)	0.0126464
Total					1.2482028

[F. No. 1/3A]
 SHAIKH AMINKHAN, Director